(27)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 4023–तीन/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 14–12–2015 पारित द्वारा न्यायालय आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन, प्रकरण कमांक 04/अपील/2015–16.

.....

दयाशंकर जोशी पिता लक्ष्मीनारायण जोशी,
निवासी जूना सोमवारिया, उज्जैन

..... आवेदक

विरूद्ध

1–श्रीमती शांताबाई पति स्व0रमेशचन्द्र जोशी,
निवासी हाथीपुरा सांवेर रोड, उज्जैन
2–कैलाश पिता लक्ष्मीनारायण जोशी
निवासी स्टेशन रोड लक्ष्मी किराना स्टार्स के पीछे,
नीमच म0प्र0

.....अनावेदकगण

श्री सोहेल खान, अभिभाषक– आवेदक
श्री लोकेश वर्मा, अभिभाषक– अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 5(7)2017 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–12–2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 15–6–2015 के विरूद्ध आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई । आयुक्त द्वारा प्रकरण कमांक 4/अपील/2015–16 दर्ज कर दिनांक 14–12–2015 को आदेश पारित कर अपील अवधि बाह्य मानकर अग्राह्य की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदक एक कम पढा लिखा ग्रामीण कृषक है, एवं 76 वर्ष का अत्यन्त वृद्ध व्यक्ति है एवं अपील में तर्क हेतु अथवा रिकार्ड प्राप्ति के स्टेज पर आवेदक की व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता भी नहीं थी और प्रकरण में वह पूर्ण रूप से अपने अधिवक्ता पर निर्भर था । आवेदक को अनुविभागीय अधिकारी का कार्यालय अंतरित होने की सूचना भी प्राप्त नहीं हुई थी इस कारण अपील में वह उपस्थित नहीं हो सका । इस कारण अधीनस्थ आयुक्त न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने में जो 44 दिन का विलम्ब हुआ है वह क्षमा किये जाने योग्य था, इसलिये आयुक्त का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पूरे प्रकरण में अनावेदक कमांक 1 द्वारा धारा 5 अवधि विधान के आवेदन का निराकरण नहीं किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ तहसीलदार न्यायालय का रिकार्ड आहुत नहीं किया गया । अनावेदक कमांक 2 की तामील नहीं हुई इसके बगैर ही अत्यधिक जल्दी में अवैधानिक रूप से न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुये संहिता के नियमों व उपनियमों का उल्लघंन करते हुये अपीलाग्रस्त आदेश दिनांक 15–6–12 पारित करने में गंभीर वैधानिक एवं क्षेत्राधिकार विषयक त्रुटि की है । धारा 5 के आवेदन का निराकरण विपक्ष को सुनवाई का अवसर दिये बगैर नहीं किया जा सकता है, न उसे स्वीकार किया जा सकता है । इस वैधानिक स्थिति को विचार में लिये बगैर अनुविभागीय अधिकारी ने अपीलाग्रस्त आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है ।

(3) अनावेदक कमांक 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष विलम्बित अपील प्रस्तुत की थी । यह सुनिश्चित विधि है कि जब तक धारा 5 के आवेदन का निराकरण न हो तो तब तक अपील न तो अंतिम सुनवाई हेतु ग्राह्य की जा सकती है और न ही उसका गुण दोषों पर निराकरण किया जा सकता है । इस वैधानिक स्थिति को विचार में लिये बगैर धारा 5 के आवेदन का निराकरण किये बगैर अनुविभागीय अधिकारी ने अपीलाग्रस्त आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है । उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखे बगैर अधीनस्थ आयुक्त न्यायालय ने दिनांक

14–12–15 के द्वारा आवेदक का धारा 5 का आवेदन निरस्त करने में गंभीर त्रुटि की है, जबकि धारा 5 का आवेदन पत्र सद्भाविक होकर उसमें विलम्ब का जो कारण दर्शित किया गया था वह पर्याप्त एवं उचित आधारों पर था ।

(4) तहसीलदार द्वारा सिविल न्यायालय द्वारा पारित जयपत्र के आधार पर आवेदक का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किया गया था । अनुविभागीय अधिकारी को सिविल न्यायालय का जयपत्र प्रभावशील रहते हुये तहसीलदार के आदेश में हस्तक्षेप करने का क्षेत्राधिकार नहीं था । अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर सिविल न्यायालय के द्वारा जयपत्र की स्पष्ट अवहेलना करते हुये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपीलाग्रस्त आदेश पारित किया गया था । यदि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा गया तो सिविल न्यायालय के आदेश व जयपत्र की अवहेलना होगी । दीवानी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व जयपत्र राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है, इस वैधानिक स्थिति को दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचार में नहीं लिया गया तथा परिणाम में दोनों अपीलाग्रस्त आदेश सर्वथा अवैध एवं क्षेत्राधिकार रही है ।

(5) अंत में निवेदन किया गया कि निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ आयुक्त न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

तर्क के समर्थन 2009(2)एमपीएचटी–52(सीजी), 2008(1) एमपीजेआर–366, 2006 आरएन 375, 1997 आरएन 351 एवं 2006 आरएन 38 के न्यायदृष्टांतों का उल्लेख किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश दिनां 15–6–15 के विरूद्ध दिनांक 28–9–15 को 44 दिन के विलम्ब से द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई थी । अवधि विधान के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी, घट्टिया का कार्यालय उज्जैन से घट्टिया अंतरित होने पर आवेदक को न्यायालय से कोई सूचना पत्र अंतरण

संबंध प्राप्त नहीं हुआ है इस कारण प्रकरण में आगामी तारीख पेशी की सूचना आवेदक को प्राप्त नहीं होने से आवेदक के विरूद्ध दिनांक 26–5–15 को एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये दिनांक 15–6–15 को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित कर दिया गया है जिसमें अनावेदक की अपील स्वीकार की गई जिसके विरूद्ध आयुक्त के समक्ष आवेदक ने आदेश दिनांक 15–6–15 के विरूद्ध 44 दिन के विलम्ब के पश्चात् द्वितीय अपील प्रस्तुत की है जो कि परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत अवधि बाह्य होने से आयुक्त द्वारा निरस्त की गई है, जो कि उचित है ।

(2) अनुविभागीय अधिकारी घट्टिया के अपील प्रकरण का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि दिनांक 30–1–2015 तक इस प्रकरण के आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपनी उपस्थिति प्रोसेडिंग में दर्ज कर आगामी पेशी दिनांक 9–2–15 नियत की गई थी जिस पर आवेदक के अधिवक्ता के हस्ताक्षर एवं पेशी दिनांक तस्दीक करी गई किन्तु उसके पश्चात् पेशी दिनांक 9–2–15, 20–2–15, 3–3–15, 17–4–15, 26–5–15, 11–6–15 को आवेदक के अभिभाषक पेशी पर उपस्थित नहीं हुये हैं इस कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदक कमांक 1 की अपील को विधिवत् सुनवाई में लेकर अंतिम आदेश पारित करते हुये स्वीकार की गई, जिसके विरूद्ध आवेदक के द्वारा आयुक्त को जो अपील की गई थी उसमें उक्त तथ्यों का उल्लेख आवेदक के द्वारा नहीं किया गया है एवं वास्तविक स्थिति को छुपाया है । इस कारण अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो आवेदक का धारा 5 अवधि विधान अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन का प्रथमदृष्टया निरस्त करते हुये जो अपील निरस्त की है, वह विधिसम्मत् है जिसमें हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक ने उनके समक्ष द्वितीय अपील विलम्ब से प्रस्तुत की थी । आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया है कि आवेदक अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पूर्व में निरन्तर उपस्थित होते रहे थे तथा उसके बाद अचानक अनुपस्थित होने के उपरांत उन्होंने प्रकरण की कोई जानकारी लेने का प्रयास नहीं किया और

ना ही अपने विलम्ब से छूट के लिये प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन में दिन–प्रतिदिन के विलम्ब का स्पष्टीकरण दिया है । नियमानुसार विलम्ब की स्थिति में आवेदकपक्ष को विलम्ब के प्रत्येक दिन का स्पष्टीकरण देना चाहिये था । आयुक्त के आदेश में जिन तथ्यों का उल्लेख किया गया है, अभिलेख से उनकी पुष्टि होती है । इस न्यायालय के समक्ष इस निगरानी में ऐसा अन्य कोई नया आधार नहीं बताया गया है कि जिसके कारण आयुक्त के द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण मान्य किया जा सके । ऐसी स्थिति में यह निगरानी आधारहीन होने से अमान्य की जाती है । आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–12–2015 की पुष्टि की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर